

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन (गेहूँ) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल एवं रोहतक जिलों में खरपतवार नाशक के वितरण, अनुदान पर किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाईन आवेदन दिनांक 31-01-2019 तक कर सकते हैं।

1. खरपतवार नाशक रु0 200/ एकड़ या 50 प्रतिशत किमत का जो भी कम हो किसानों को अनुदान दिया जाएगा।

District Wise Physical & Financial targets of weedicides PP Chemical with a financial assistance of Rs 200/Acre or 50 % of cost which ever less under NFSM -Wheat 2018-19.							
Sr. No.	Distt	General Category		SC Category		Total	
		Physical Target (in acre)	Financial Target (in Rs. Lakhs)	Physical Target (in acre)	Financial Target (in Rs. Lakhs)	Physical Target (in acre)	Financial Target (in Rs. Lakhs)
1	Ambala	9600	19.2	2400	4.8	12000	24
2	Bhiwani	8000	16	2000	4	10000	20
3	Hisar	9600	19.2	2400	4.8	12000	24
4	Jhajjar	5600	11.2	1400	2.8	7000	14
5	Mewat	6400	12.8	1600	3.2	8000	16
6	Palwal	6400	12.8	1600	3.2	8000	16
7	Rohtak	4240	8.48	1060	2.12	5300	10.6
	Total	49840	99.68	12460	24.92	62300	124.6

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 1 हैक्टेयर (2.5 एकड़) का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार भूमि सुधार विकास निगम/हरियाणा बीज विकास निगम/सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।